# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

**(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)**

**अपील संख्या :– 44/2020/भीलवाडा (2020/00044)**

1. शंकर पुत्र स्व0श्री गांगा गूजर निवासी जालिया तहसील माण्डलगढ जरिये वारिसान :–
   1/1–श्रीमती रूकमा पत्नि स्व शंकर गूजर
   1/2–सत्यनारायण पुत्र स्व शंकर गूजर
   1/3–बाबूलाल पुत्र स्व शंकर गूजर
   1/4–नारायण पुत्र स्व शंकर गूजर
   समस्त जाति गूजर निवासी जालिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा

**अपीलांट्स**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार, माण्डलगढ जिला भीलवाडा

**रेस्पोडेंट**

**अपील अंतर्गत नियम 17(अ)राजस्थान मध्यम एंव लघु परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आंवटन नियम 1968 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाडा दिनांक 11.01.2007 प्रकरण संख्या 63/2006**

**उपस्थितः–**

1. श्री जय कुमार जैन,अभिभाषक अपीलांटस I/1 लगायात 1/4
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय पैरोकार

## निर्णय

**दिनांकः–12.03.2020**

अपीलांटस ने यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, जिला भीलवाडा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय ) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 11.01.2007 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर अपील अंतर्गत नियम 17(अ)राजस्थान मध्यम एंव लघु परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आंवटन नियम 1968 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- यह कि प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी को ग्राम झालियां के उपनिवेशन क्षेत्र की साबिक आराजी संख्या 23 रकबा 2 बीघा जिसके नवीन आराजी नम्बर 1016/23 रकबा 2 बीघा कायम हुआ,का दिनांक 01.06.1992 को आवंटन किया गया था,एंव भूमि वर्तमान में बिलानाम काबिल काश्त ग्राम झांलिया आराजी संख्या 1016/23 रकबा 2 बीघा बंजड जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक दर्ज रेकार्ड है जो आवंटन के पश्चात् से आज दिनांक तक अपीलार्थी मौके पर काश्त करता चला आ रहा है । अपीलार्थी को उक्त भूमि आवंटन का

नजराना कायम किया गया जिसे अपीलार्थी ने किश्तों में 1200 रू दिनांक 05.05.2000-2001 में ढाल बांछ संख्या 157 पर जमा कराये एवं इसके बाद तहसीलदार एंव पटवारी हल्का की मांग पर शेष नजराना राशि हल्का पटवारी श्री सत्यनारायण कोली को जमा कराने हेतु दे दिये किन्तु पटवारी साहब ने रसीद अगले माह देने को कहा किन्तु दुर्भाग्यवश हल्का पटवारी का स्वर्गवास हो गया व राशि जमा होने से रह गई जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी के जिम्मे कोई नजराना शेष नहीं रही एंव अपीलार्थी बोनाफाईड रूप से निश्चिंत हो गया कि नजराना राशि जमा हो चुकी है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी की बिना सम्यक तामिल के बिना सुने,बिना साक्ष्य का अवसर दिए ही अपीलाधीन निर्णय व आदेश पारित कर उसके नाम किया गया आवंटन निरस्त कर दिया जबकि अपीलार्थी के जीवनयापन एंव उसके परिवार की आजीविका का साधन एकमात्र यही आवंटित भूमि है,यदि उसे इस भूमि से वंचित कर दिया गया तो उसकी व उसके परिवार की आजीविका समाप्त हो जायेगी, अपीलार्थी अपील के साथ जमाबन्दी वर्तमान सम्वत् 2071 से 2074 ढाल बांछ वर्ष 1998-99,1999-2000,2000-2001 एंव 2007-08 एवं जमाबंन्दी सम्वत् 2063,नामान्तरकरण एंव नजराना रसीद फोटो स्टेट प्रस्तुत कर रहा है एंव न्यायालय के आदेशानुसार बकाया बताई गई नजराना राशि 4800 रू मय ब्याज के जमा कराने को आज भी तत्पर है इन परिस्थितियों में अपीलार्थी की अपील को स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व आदेश को विधि विरूद्ध होकर न्याय के विपरीत होने से अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी के नाम किए गए आवंटन को बहाल रखा जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जाना न्याय एवं कानून संगत है । xx

2- अपील Subject to limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत तथा रेस्पोडेन्ट के विद्धान वकील द्वारा प्रकरण में बहस किये जाने पर प्रकरण में उभयपक्षी बहस सुनी गई । xx

3- सर्वप्रथम मूल अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निर्णय करना उचित समझते हैं । अतः प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई । xx

4- विद्धान अपीलांटस अभिभाषक ने मूल अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांटस ग्रामीण एंव अनपढ काश्तकार है जिसको कानून की जानकारी नहीं हैं,अपीलाधीन निर्णय के संबंध में अपीलांटस को समय पर सूचना प्राप्त नहीं हो सकी थी । अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय व आदेश की सर्वप्रथम जानकारी जब हुई जब अकाल में कृषि बर्बाद होने का मुआवजा लेने के लिए पटवार हल्का के पास दिनांक 02.06.2016 को गया, तब प्रथम बार अपीलाधीन निणर्य व आदेश की जानकारी हुई पटवार हल्का ने बताया कि तुम्हारी आवंटित भूमि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार हो गई है तुम्हे मुआवजा राशि नहीं मिलेगा इस पर अपीलार्थी ने अधिवक्ता नियुक्त कर अधिनिस्थ न्यायालय के निर्णय व आदेशों की प्रतियां दिनांक 10.06.2016 को प्राप्त होने पर तुरन्त प्रभाव से फीस व अन्य खर्चो

का इन्तजाम कर दिनांक 21.06.2016 को यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष अबिलम्ब प्रस्तुत कर दी । अतः अपील में विलम्ब सद्भाविक है अतः विलम्ब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर तय किया जाकर आधा नजराना जमा होने से शेष नजराना जमा कराने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया ।xx

5- रेस्पोडेन्ट अभिभाषक ने बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि अपीलांट को आवंटित भूमि का आवंटन दिनांक 11.01.2007 को खारिज किये जाने का निर्णय हुआ इस निर्णय से पूर्व दिनांक 04.12.2006 को अपीलांट(अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट) जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अधिकार पत्र व जबाव पेश करने हेतु अवसर दिये जाने के बाबजूद 08.01.2007 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए एवम् इसके 9 वर्ष बाद यह अपील दायर की गई अतः यह विश्वास योग्य नहीं है कि अपीलांट्स को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं थी, क्योंकि इनके धारा 5 के प्रार्थना पत्र में 9 वर्ष विलम्ब को कोई आधार नहीं दिया जबकि विलम्ब को क्षमा कराने के लिए प्रत्येक दिन के विलम्ब के बारे में पर्याप्त ठोस कारण होना आवश्यक है, साथ ही नजराना जमा करवाने हेतु तहसीलदार व पटवारी द्वारा बार बार मांग पत्र नोटिस तामिल होने के बाबजूद नजराना जमा नहीं कराये जाने के कारण आवंटन खारिज की कार्यवाही की गई है एंव आवंटित भूमि पर कभी काश्त की गई इस प्रमाण(खसरा गिरदावरी) भी पेश नहीं किया गया है जिससे अपीलांट द्वारा भूमि पर काश्त किया जाना भी साबित नहीं हैं । अतः मियाद बाहर होने से अपील खारिज योग्य है । xx

6- पैराकार रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस के समर्थन में मेरा ध्यान निम्न न्यायिक दृष्टांतों 1-2009(1)RRT 432 2-2014(1)RRT 154 04-AIR 2011 SC 1237 की ओर आकर्षित करते हुए कथन दिया कि अपील को देरी से पेश करने का कोई वैद्य कारण नहीं होने से अपील को पेश करने की देरी को माफ नहीं किया जा सकता अपील अपीलांट अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। xx

7- हमने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर अपीलान्ट/रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक की उभयपक्षीय बहस को ध्यानपूर्वक सुना व अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के साथ रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों का मनन व गहनता से अवलोकन किया । प्रकरण हाजा में अपीलांट्स द्वारा मियाद अधिनियम 1963 की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में हस्तगत अपील 9 वर्ष के विलम्ब से पेश करने का कोई युक्तियुक्त व संतोषजनक वैद्य आधार नहीं दिया जबकि विलम्ब को क्षमा कराने के लिए प्रत्येक दिन के विलम्ब के बारे में पर्याप्त ठोस कारण होना आवश्यक है जो प्रस्तुत अपील/दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं हैं । अतः ऐसे में अपील को पेश करने की देर कतई क्षम्य नहीं होने एंव बिना किसी उचित कारण के लम्बी अवधि के उक्त प्रकरण पर विचार हेतु स्वीकार किया जाना संभव नहीं हैं इससे प्रथम दृष्टया प्रस्तुत अपील मियाद बाधक सिद्ध होती है जब कोई मामला मियाद बाधक सिद्ध है,तो उसके गुणावगुणो पर विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं होती । हम विद्धान रेस्पोडेन्ट अभिभाषक के इस कथन से भी हम

सहमत है कि अपीलांट को ग्राम जालिया की उपनिवेशन क्षेत्र की साबिक आराजी नम्बर 23 रकबा 2 बीघा भूमि जिसके नवीन आराजी नम्बर 1016/23 रकबा 2 बीघा कायम हुआ है, का दिनांक 01.06.1992 को नियत शर्तो पर कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था । आवंटन शर्तो की पालना में आवंटित भूमि का बकाया नजराना 4800 रूपये मय नियमानुसार ब्याज के जमा करवाया जाना था, लेकिन तहसीलदार व पटवारी हल्का स्तर से तकाजा करने पर भी उक्त राशि मय ब्याज के जमा नहीं कराई गई । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामिल होने पर अपीलांट जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुआ,अधिवक्ता द्वारा जवाब तथा अधिकार पत्र प्रस्तुत करने की अण्डर टेकिंग देने पर भी तत्पश्चात् अपीलांट जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ ना ही बकया नजराना राशि मय ब्याज जमा कराने तथा आवंटन के प्रति भी कोई दिलचस्पी प्रदर्शित की इस परिस्थितियों में अपीलांट के द्वारा आवंटन शर्तो की उल्लघंना स्पष्ट होती है । **अतः** विद्धान जिला कलक्टर भीलवाडा के निर्णय दिनांक 11.01.2007 में कोई विधिक त्रृटि नहीं होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं हैं। xx

**–:क्रियात्मक आदेशः**

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 44/2020 (2020/00044) बउनवानी शंकर जरिये वारिसान रूकमा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डलगढ,भीलवाडा को खारिज किया जाकर जिला कलक्टर,भीलवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 63/2006 बउनवान राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डलगढ बनाम शंकर पिता गांगा गूजर में पारित निर्णय दिनांक 11.01.2007 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो जाता है ।

**(सत्तार खान)**
**अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,**
**अजमेर**

आदेश आज दिनांक 12.03.2020 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

**(सत्तार खान)**
**अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,**
**अजमेर**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.03.30 12:10:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: